बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 151778 पटना, दिनांक 12/06/2013

ग्रा0वि0- 08(थ0)-32/2008

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक ।
बिहार ।

विषय :- मनरेगा अंतर्गत बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी के भुगतान के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक- 130144, दिनांक 27.11.2012 एवं 142041 दिनांक 13.03.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से यह निदेश दिया गया था कि मजदूरों को ससमय भुगतान सुनिश्चित करने हेतु मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रुप से बैंक खातों के माध्यम से किया जायेगा । इस क्रम में यह भी निदेश दिया गया था कि अभियान चलाकर वैसे जॉब कार्डधारियों का खाता बैंक में खुलवाया जाय जो वास्तव में मनरेगा में काम करते हैं ।

MIS पर समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि इस क्रम में प्रगति बहुत कम है ।

इस क्रम में विभागीय पत्रांक- 142041 दिनांक 13.03.2013 में संशोधन करते हुये पुनः यह निदेश दिया जाता है कि

(क) अगले 2 माह (जून तथा जुलाई, 2013) तक ऐसे सभी जॉब कार्डधारियों का खाता बैंक में खुलवाने का कार्य शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाय । इस अवधी में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भुगतान जारी रहेगा ।

(ख) 1 अगस्त, 2013 से यथासंभव सभी भुगतान बैंक खातों के माध्यम से हीं किये जायेंगे ।

(ग) जॉब कार्डधारियों का खाता बैंक में खुलवाने के कार्य का जिलेवार प्रगति प्रतिवेदन निम्न प्रारुप के अनुसार प्रत्येक सप्ताह सोमवार को विभाग को उपलब्ध कराया जाय :-

जिले का नाम	जॉब कार्डधारियों की कूल संख्या	MIS के अनुसार सक्रीय मजदूरों की कुल संख्या	बैंक			पोस्ट ऑफिस के कुल खातों की संख्या	पोस्ट ऑफिस से बैंक में हस्तांतरित खातों की कुल संख्या
			व्यवसायी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खुले खातों की कुल संख्या	सहकारिता तथा अन्य बैंको में खुले खातों की संख्या	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8

कृपया इसे सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

(अमृत लाल मीणा)
सचिव